**<u>अत्यंत महत्वपूर्ण / विधानसभा</u>**

उद्योग विभाग
कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली–110092

फा.संख्या 129 / डीसीआई (लोकसभा / विधानसभा प्रश्न) / 2022–23 / 219 दिनांक : 24-03-2025

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

**विषय : विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 161 का उत्तर जो दिनांक 27.03.2025 को सदन की बैठक हेतु के संदर्भ में।**

महोदय,

मुझे निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यालय के पत्रांक संख्या सं. एफ. 11(बी–1)VIII / 2025–30 / वि.स.स. / प्रश्न शा. / 2153 दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त पत्र के संदर्भ में अतारांकित प्रश्न संख्या 161 का उद्योग विभाग द्वारा तैयार उत्तर को माननीय मंत्री (उद्योग विभाग ) की पूर्व अनुमति पश्चात् 100 प्रतियॉ उचित कार्यवाही हेतु आपको अग्रसित की जा रही है।

हस्ताक्षर
24/03/2025

अनुभाग अधिकारी (प्रश्न शाखा )
उद्योग विभाग

विभाग का नाम :– कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पताः– कार्यालय आयुक्त उद्योग, उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली–110092

अतारांकित
प्रश्न संख्या : 161
दिनांक : 27.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जरनैल सिंह
क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

| प्रश्न सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | दिल्ली में कुल कितने इंडस्ट्रीयल एरिया हैं, | दिल्ली में कुल 36 कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा 26 नॉन कन्फर्मिंग औद्योगिक क्षैत्र है। |
| ख | इनमें से कितने सरकार द्वारा विकसित किये गये हैं व कितने नॉन कंफर्म क्षेत्रों में हैं, | इनमें से 36 क्षेत्र सरकार के विभिन्न अंगो द्वारा विकसित किए गए हैं। |
| ग | ख्याला औद्योगिक क्लस्टर जिसमें (I) रवि नगर एक्सटेंशन भाग–I (II) रवि नगर एक्सटेंशन भाग–2, (III) विष्णु गार्डन एक्सटेंशन –5 (IV) जेड –ब्लॉक विष्णु गार्डन और (V) आर जेड – सी ब्लॉक विष्णु गार्डन क्षेत्र आते हैं व जिसका एमपीडी 2021 के पैरा 7.6.2.1 के तहत पुनर्विकास होना है, इस कार्य की क्या स्थिति है व यह कार्य कब तक संपूर्ण हो जायेगा , | एम.पी.डी. 2021 डीडीए द्वारा संचालित किया जाता है। इस क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए अभी सिर्फ सर्वे किया जा रहा है। |
| घ | दिल्ली में किस श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति है व किस श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को कार्य करने की अनुमति नही है | एमपीडी 2021 में उल्लेखित स्वीकृत श्रेणी की इकाईयों को कार्य करने की अनुमति है। |
| ड | खतरनाक तरीके से वातवरण को प्रदुषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर रोक लगाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, | इस विभाग से संबंधित नहीं है। |
| च | शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी यदि वातावरण में जहर घोल रही औद्योगिक इकाईयां चलती रहती है तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, और | इस विभाग से संबंधित नहीं है। यह कार्य डीपीसीसी करता है। |
| छ | पिछले 5 वर्षो में प्राप्त शिकायतों व उन पर की गई कार्रवाईयों का विस्तृत विवरण दें ? | इस विभाग से संबंधित नहीं है। |

हस्ताक्षर
24/3/25
उपायुक्त उद्योग विभाग

Dy. Commissioner (Industries)
Industries Department
Govt. of NCT of Delhi
419, Udyog Sadan, Patparganj
Indl. Area, Delhi-110092